



अज अयालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

वादीगण
कोजाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी जसोल
तहसील पंचपदा जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

गैरुसिंह पुत्र निर्मलसिंह वगैरा
जाति राजपुत निवासी जसोल
तहसील पंचपदा जिला बालोतरा
मुकदमा संख्या :- 141/2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21.08.2024	<p>यह राजस्व वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मदद्वेनजर रखते हुए प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादीगण को प्रतिवादीगण के सम्मन की दरती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p> <p>30.8.24</p> <p>कोजाराम के अधिवक्ता उप./अनु./पीठासीन अधिवक्ता अवकाश पर वरत है। पत्रावली जाते <u>प्रतिवादी तलबी</u> दिनांक <u>25/9/2024</u> को पेश है।</p> <p>18.9.2024 पत्रावली वकील वादीगण के लुप्तगाम का पर नलवा की गई। वकील वादीगण के निवेदन किना कि वादीगण प्रतिगण वाद को चम्पाना भी चाहते है इस कारण नया वाद-पत्र पेश करने की अपुष्टि के हुए वाद किनेल स्वस्थिक किना जावे इन्हे वकील वादीगण को कुम को</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p>	



पत्रावली का आभोग्य किया। वहीगण
 वहीगण वाड-का आगे यलाना ठीकं यलहे
 है। ठीकी कूलत में वाड को आगे यलाना
 अचिर छलित नही होता है। ठीकीगण
 वादीगण का सुभाना का सुभिकार किया
 वातर छलका काय वही पर मिया जात
 वादीगण के कलपा वाड वही कले के कल
 सुभिकार करते इव वहीगण का वाड
 वही ललेज पर सुभिकार किया जात है।

पत्रावली कलका सुभिकार वही वारीक
 कलका है।

सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020